

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक/जउयो/01/2022-23/11039
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक 10/1/2023

कलेक्टर,

जिला (छ0ग0)

विषय :- पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत विगत वर्षों की भांति पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत वर्ष 2023-24 में योजना का प्रचार-प्रसार करने तथा परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जा रहे हैं :-

1. पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) की कंडिका 11 अनुसार कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु दिनांक 12.03.2023 (दिन रविवार) को समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित किया जावे।
2. जिला स्तरीय समाचार-पत्रों में योजना एवं चयन परीक्षा की तिथि सहित पूर्ण विवरण के साथ आवेदन आमंत्रण संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कराया जावे। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार प्राचार्यों एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला की बैठक लेकर तथा छात्रों/पालकों को योजना के प्रति जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर सकें तथा योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
3. राज्य अंतर्गत छात्र/छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित है। पूर्व वर्षों में प्रायः यह देगा गया है कि कतिपय जिलों में अन्य जिलों के मूल निवास वाले विद्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार कर परीक्षा ली गई है तथा उनका मेरिट सूची में नाम सम्मिलित कर भेजा गया था। अतः ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल निवास वाले जिलों को तत्काल भेजा जावे, ताकि वे विद्यार्थी भी इस योजना से वंचित न रहे।
4. आवेदन पत्र को पर्याप्त मात्रा में छपाकर शालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जावे साथ ही नियम की कंडिका 4 अनुसार पात्रता की सूचना भी दी जावे।
5. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि के पूर्व परीक्षा केन्द्र का चयन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे।
6. प्रश्न पत्रों का सीलबंद लिफाफा दिनांक 09.03.2022 (दिन गुरुवार) को कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर से वितरण किया जाएगा। अतः इस हेतु किसी जिम्मेदार अधिकारी को अधिकृत करते हुए बड़ा थैला/बॉक्स तथा सीलबंद करने हेतु चपड़ा इत्यादि सामग्री के साथ भेजा जाए।
7. सहायक आयुक्त, दो शिक्षक एवं एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा प्रारंभ समय से 20 मिनट पूर्व बंद लिफाफा खोला जाकर, हस्ताक्षरयुक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जावे।

8. आपके जिले में कुल स्वीकृत सीट से तीनगुना नामों की मेरिट सूची तैयार कर भेजी जावे।
9. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका पर ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जावे।
10. पर्यवेक्षक एवं प्रश्न-पत्रों के जांचकर्ता पृथक – पृथक रखे जाकर जांचकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम तथा पदस्थापना स्थान का प्रत्येक पुस्तिका में स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
11. परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जावे।
12. परीक्षा आयोजन स्थल पर पेयजल, रोशनी एवं पृथक-पृथक बालक-बालिका शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।
13. कंडिका 4 अनुसार पालकों की सहमति/आयकर दाता न होने (रूपये 2.50 लाख से अधिक न हो) का नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, संस्था से ग्रामीण अंचल में होने का प्रमाण संबंधित जानकारी, जाति प्रमाण, अंकसूची में प्राप्तांक संबंधी जानकारी, चयन परीक्षा के पूर्व से ही एकत्र कर पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे।
14. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् दो शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाकर उत्तर पुस्तिकाओं को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखें तथा परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्रों के परीक्षा परिणामों की कक्षा-6वीं (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक-पृथक सूची) की एक मेरिट सूची निर्धारित संलग्न प्रपत्र में, तैयार कर सी.डी. (सॉफ्ट-कॉपी) सहित बंद लिफाफे में हस्ताक्षर सहित विशेष वाहक के हस्ते दिनांक **22.03.2022** तक अनिवार्यतः मुख्यालय में पदस्थ योजना प्रभारी अधिकारी को देवें।
14. मेरिट लिस्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जाने पर मान्य होगी। त्रुटिपूर्ण या प्रपत्र से विसंगति होने पर मेरिट लिस्ट मान्य नहीं की जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक-पृथक कक्षावार सूची तैयार कर भेजी जावे। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दिए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

परीक्षा आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा एवं विभिन्न स्तर पर कार्य विभाजन एवं जिम्मेदारी देने हेतु कृपया जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक शिक्षक रखे जाए। अतः परीक्षा केन्द्रों पर कड़ाई से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही कराया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी जाए। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निष्पक्ष व शत प्रतिशत निष्ठा द्वारा मूल्यांकन किया गया है यह सुनिश्चित कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त

✕ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

// 3 //

पृ. क्रमांक/जउयो/01/2022-23/11040
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर दिनांक 10/1/2023

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला - को निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारण किया जाए। अधिकारी के साथ एक बैठक कर योजना का प्रचार-प्रसार तथा प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु शालाओं का निर्धारण करने की कार्य योजना बना ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021)
कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा संबंधी नियम-निर्देश शिक्षण सत्र 2023-24

उद्देश्य :- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजनांतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

छात्रों के चयन का मापदण्ड/पात्रता शर्त :-

1. विद्यार्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।
4. पिता/पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
5. योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात् ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

योजनान्तर्गत सीट का निर्धारण :-

1. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। सूची संलग्न है।
2. उपर्युक्त सीट संख्या का आशय यह नहीं कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा।
3. राज्य अंतर्गत छात्र/छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।

प्रवेश परीक्षा का पैटर्न :-

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु -

1. कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20-20 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।
2. प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका एक है। अतः छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर भरकर/अंकित कर उत्तर पुस्तिका परीक्षक को वापस करेंगे।

आवेदन कैसे भरें :-

1. निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेशन शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेशन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्त पूर्ण करता है। अधूरे आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है।
2. समस्त आवेदन पत्र विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में दिनांक 10.02.2022 (दिन शुक्रवार) को संध्या 5.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।

//2//

3. पालकों एवं विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने में प्रधान पाठक/शिक्षकगण संवेदनशीलता से सहयोग करें। प्रतिभावान विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
4. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी लिखने हेतु 'पैड' साथ में अवश्य लावें।
5. प्रवेश संबंधी चेक लिस्ट का विवरण निम्नानुसार है :-

कं	कार्यक्रम विवरण	तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की तिथि	10.02.2023 (दिन शुक्रवार)
2	शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण	13.02.2023 (दिन सोमवार)
3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करना	17.02.2023 (दिन शुक्रवार)
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदनों की संख्या जिलावार विकास खण्डवार का प्रेषण (Mail/Fax) द्वारा	22.02.2023 (दिन बुधवार)
5	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों/वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करना एवं परीक्षा केन्द्रवार विद्यार्थियों की संख्या, केन्द्राध्यक्ष का नाम/पद/मोबाईल नंबर आदि की जानकारी भेजना।	02.03.2023 (दिन गुरुवार)
6	राज्य मुख्यालय स्तर पर सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	09.03.2023 (दिन गुरुवार) (कार्या.आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त करेंगे।)
7	जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन	12.03.2023 (दिन रविवार), दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक
8	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं परीक्षा परिणाम का जिला स्तर पर संकलन।	12.03.2023 (दिन रविवार)
9	दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना	15.03.2023 (दिन बुधवार)
10	राज्य मुख्यालय को अंतिम मेरिट सूची भेजना (अनु.जाति एवं जनजाति वार) कक्षा 6वीं	22.03.2023 (दिन बुधवार)
11	काउंसिलिंग की संभावित तिथि	पृथक से सूचित किया जाएगा।

विस्तृत विवरण :- योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(श्रीमती शम्मी आंबिदी)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)